4

हमारा संविधान

तुमने शायद कभी किसी को यह कहते सुना होगा, 'भारत एक जनतांत्रिक देश है।' इसका मतलब यह है कि सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। कानून बनाने और बदलने में भी सभी लोगो को हिस्सा लेना चाहिए। दूसरी बात यह कि जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर हो, अपने मन से काम नही कर सकता। यहां तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नही कर सकती। जिस देश में जनतांत्रिक सरकार होती है, वहां एक "संविधान" होता है। (संविधान एक पुस्तक है जिसमें देश के कामकाज के बारे मे बहुत सारी बातें लिखी हैं।) सरकार को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, हर व्यक्ति को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है- संविधान में यह भी लिखा है कि यदि कोई भी गैर संवैधानिक, यानी संविधान में लिखी बातो के खिलाफ, काम करता है तो इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए।

अरे, बड़ी ज़रूरी बाते हैं इसमें तो। हमें भी जानना चाहिए इनके बारे में।

संविधान में क्या-क्या है?

सबसे पहले संविधान की एक उद्देशिका दी गई है। इसमें संविधान के उद्देश्य लिखे हैं।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधन को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

इसे पढ़कर गुरुजी से चर्चा करो।

हमारा संविधान बहुत लंबा है। इसमें लगभग 300 पृष्ठ हैं। यह 22 भागों में विभाजित है। इसमें इन बातों के बारे में विस्तार से लिखा है—

1. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार किस प्रकार काम करेंगी और उनके आपस में क्या संबंध होंगे;

2. न्यायालयों का काम क्या हो? ज़िला कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय को किस तरह काम करना चाहिए;

3. किन विषयों पर केंद्रीय सरकार कानून बनाएगी, किन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी; किन विषयों पर दोनों सरकार कानून बनाएंगी; जिन विषयों पर दोनों सरकार कानून बनाती हैं, उनमें यदि तालमेल न बैठा, तो कौन सा कानून माना जाएगा।

राज्य सरकार और न्यायालयों के बारे में तुम पढ़ चुके हो। उनके बारे में जो चीज़ें तुमने पढ़ीं, वे सब संविधान में ही लिखी गई हैं। अब जाने कि संविधान के पहले चार भागों में क्या बातें हैं :

पहले भाग में दिया है कि भारत का पूरा क्षेत्र सभी राज्यों के क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों से मिलकर बनता है। भारत के राज्यों की सीमा और भारत की सीमा किस प्रकार बदली जा सकती है। नए राज्य किस प्रकार बनाए जा सकते हैं।

दूसरे भाग में यह बताया गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा। जो भी भारत में पैदा होता है, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। किसी भी भारतीय नागरिक के बच्चे भी भारतीय नागरिक होंगे। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहता। भारत सरकार भारतीय नागरिकता के बारे में कोई भी कानून बना सकती है।

क्या तुम और तुम्हारे माता-पिता भारत के नागरिक हैं?

तीसरे भाग में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये सभी को जानना ज़रूरी है कि उनके क्या अधिकार हैं और सबका यह हक बनता है कि वे इन अधिकारों के लिए लड़ें। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, केंद्रीय और राज्य सरकारों का कर्त्तव्य है। हम अगले पाठ में यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं।

चौथे भाग में भारत सरकार और राज्य सरकारों को कुछ 'नीति निर्देशक सिद्धांत' बताए गए हैं। ये सिद्धांत ऐसे हैं जिन को ध्यान में रखते हुए सरकारों को कानून बनाने चाहिए। अपने नियमों और कानूनों से इन उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। कुछ सिद्धांत हैं—

- सभी आदमियों और औरतों को पर्याप्त रोज़गार दिलाने के लिए नीति बनाना।
- ऐसी नीतियां न बनाना जिससे कि कुछ लोगों के पास खूब सारा धन इकट्ठा हो जाए और अधिकांश लोगों को हानि पहुंचे।
- नीतियां ऐसी हों जिससे कि समान काम के लिए समान मज़दूरी मिले।
- किसी को भी (बच्चे, औरत या आदमी को) ऐसा काम करने पर मजबूर न होना पड़े जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता हो।
- बच्चों को अपने विकास के लिए खुला और सम्मान भरा वातावरण मिले। सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले।
- सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कि सभी को काम करने का अधिकार मिले, काम के लिए अच्छा वातावरण मिले, आराम और सम्मान से रहने लायक वेतन मिले और उद्योगों के संचालन में मज़दूरों की भी भागीदारी हो।

इस तरह से करीब 17 सिद्धांत इस भाग में दिए गए हैं। ये सरकार के लिए निर्देश हैं पर यदि सरकार

क्या औरतों और मर्दों को समान काम के लिए समान मज़दूरी मिलती है?

पूरी तरह इनके अनुसार काम नही करती तो कोर्ट या कचहरी मे इनके लिए मुकदमा नही किया जा सकता।

तुम्हें क्या लगता है - इन मे से कौन से निर्देशो का पालन होता है? एक-एक सिद्धांत पर आपस में और गुरुजी के साथ चर्चा करो।
क्या तुम ऐसी नीतियों के कुछ उदाहरण पता कर सकते हो जहां इन सिद्धांतों का पालन नहीं हो रहा हो?
नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करवाने के लिए क्या करना चाहिए?

संविधान के चौथे भाग मे ही हमारे कुछ मौलिक कर्त्तव्य भी दिए गए हैं। इनके बारे मे हम अगले पाठ मे पढ़ेगे।

इतनी सारी बाते इस संविधान मे हैं व और भी बहुत कुछ है। भारतीय भाषाओं के बारे मे, धर्म के बारे मे, अनुसूचित जातियों और जनजातियो के बारे मे कई नियम आदि लिखे हैं।

हमें तो हैरानी होती है सोच कर कि कैसे यह सब लिखा गया होगा? इसकी पूरी कहानी तो बहुत लंबी है।

संविधान कैसे बना?

15 अगस्त 1947 से पहले भारत में अंग्रेज़ो का राज्य था। अंग्रेज़ ही तय करते थे कि भारत के लोगो के लिए कानून कैसे बनेंगे और कौन उन्हें लागू करेगा। यहां का शासन उस तरह चलता था, जिस तरह इंग्लैण्ड की सरकार उसे चलाना चाहती थी।

उसी समय से कई भारतीय सोच रहे थे कि यह बात ठीक नही है। किसी दूसरे देश के लोग हमारे लिए कानून व नियम कैसे बना सकते हैं? उन्होंने इस बात के लिए बहुत बड़ा संघर्ष शुरू किया कि भारत के लोगो को स्वयं अपने कानून बनाने और अपना शासन चलाने का हक है। अपने देश का शासन स्वयं चलाने के हक के लिए भारतवासी करीब 100 साल तक अंग्रेजो के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। कई लोगो ने इस लड़ाई मे अपनी जाने दे दी। कई लोग सालो तक जेल मे रहे। इसी लड़ाई को स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तुम अगली कक्षा मे इसके बारे मे पढ़ोगे।

इस संघर्ष के चलते 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ यानी भारत के लोगों को अपने लिए नियम कानून बनाने और अपनी सरकार खुद से बनाने का अधिकार मिला।

पर अपना ही शासन होगा तो कैसा होगा? यह भी तो सोचना था। क्या हमारा राजा होगा? जैसे कि अंग्रेज शासन के पहले होता था। या फिर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? या दोनो ही? अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा तो वे कैसे और किसके द्वारा चुने जाएंगे? यह भी सोचना था कि भारत के लोगो के क्या अधिकार होगे? उनके लिए क्या नियम कानून होगे?

इतने बड़े देश के लिए ये सब बाते सोचना कोई आसान काम नही था। कोई एक व्यक्ति इस काम को अकेला कर भी नही सकता था। भारत के हर

प्रान्त के लोगो (पुरुषो और महिलाओं) ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, इसलिये यह ज़रूरी था कि ये बाते तय करने मे हर प्रान्त के आदमियो और औरतो यानी सभी लोगो का हाथ हो।

इस काम को करने के लिए सन् 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें 308 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। कुछ लोग जिनके नाम तुमने सुने होगे, वे थे सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एच. वी. कामथ। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद। संविधान परिषद की एक समिति बनी जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉ. बी. आर. अम्बेडकर।

संविधान की अलग-अलग बातों को लेकर सभा के लोगो मे बहुत सोच-विचार, चर्चा और बहस हुई। संविधान लिखने मे लगभग 3 साल लग गए। सन् 1949 मे संविधान सभा ने संविधान पारित किया और 26 जनवरी 1950 से यह संविधान पूरे भारत मे लागू किया गया। संविधान लागू होने के बाद ही अपने देश में जनतंत्र यानी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का शासन शुरू हुआ। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।

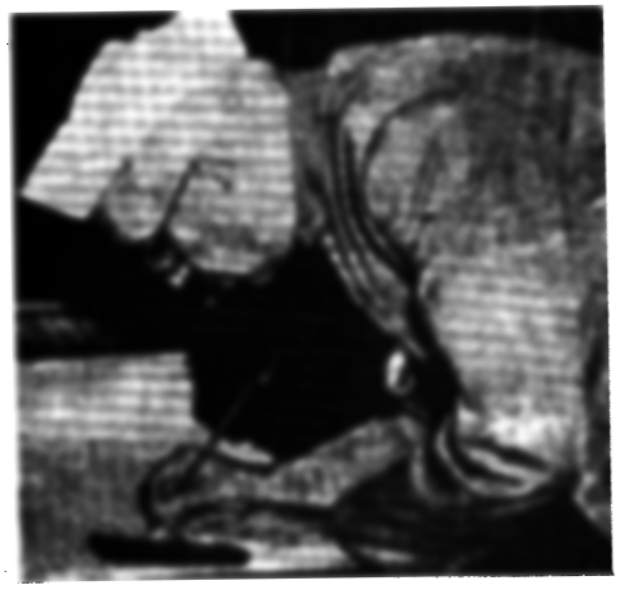

संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए पंडित नेहरू

यह थी हमारे संविधान की कहानी। अगले पाठ में हम संविधान मे दिए गए अपने अधिकारो के बारे मे पढ़ेंगे।

* * *

अभ्यास के प्रश्न

1. संविधान की उद्देशिका को अपने शब्दों में लिखो।
2. हमारे संविधान में क्या-क्या दिया हुआ है? कितने भाग हैं?
3. हमारी सरकार किसके आधार पर काम करती है?
4. 'नीति निर्देशक सिद्धांत' का क्या मतलब है ? ये संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत बताओ।
5. संविधान कब और कैसे बनाया गया?